न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 93/2017 **दायरा दिनांक : 27.06.2017**

उनवान

1— द्रोपदी बाई पुत्री स्वर्गीय धूलीलाल, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मूण्डक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां (राजस्थान) हाल ग्राम उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2— रामप्रेम बाई पुत्री स्वर्गीय धूलीलाल, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मूण्डक्या, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान) हाल अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— श्रीमती ग्यारसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डक्या, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2— रवि पुत्र श्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत नाबालिग

3— योगेश पुत्र श्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत नाबालिग

4— चेतन पुत्र श्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत नाबालिग

5— टीना पुत्री श्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत नाबालिग

नबालिग जरिये संरक्षक पिता स्वयं श्री चन्द्रमोहन आत्मज श्री कृष्णगोपाल सागर, निवासी 324 शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

6— धन्नी बाई पुत्री स्वर्गीय धूलीलाल पत्नी कन्हैयालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बल्लूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)

7— चम्पा बाई पुत्री स्वर्गीय धूलीलाल पत्नी कन्हैयालाल, जाति कुमावत, निवासी ग्राम बल्लूखेड़ी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राजस्थान)

8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार छबडा, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री अतुल वसिष्ठ अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री तेजमल जैन एवं आशीष जैन अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.08.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 1/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम मूण्डकिया, तहसील छबड़ा में भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 60 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 64 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 65 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 115 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 116 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 117 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 120 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 128 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 129 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 150 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 330 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा कुल 20 किता की 47 बीघा 2 बिस्वा आराजी वादिनी क्रम 1 मुस0 ग्यारसी बाई एवं एवं उनके पति जमना लाल के शामलाती खातेदारी में हिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही थी । जमना लाल का स्वर्गवास हो गया । आराजी का इंतकाल वादिनी के नाम तस्दीक किया गया इस प्रकार वाद में वर्णित भूमि शामलाती खाते एवं कब्जे में चली आ रही है ।

इसी प्रकार ग्राम कून्दी में खसरा नम्बर 530 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा वादिनी ग्यारसी बाई एवं उसके पति जमना लाल के शामलाती खातेदारी में चली आ रही थी । जमना लाल का स्वर्गवास हो जाने से इंतकाल वादीगण के नाम तस्दीक हुआ ।

इसी प्रकार ग्राम खेरखेडा गुसाई, तहसील छबडा की भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 13 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा 2 किता की 12 बीघा 16 बिस्वा वह भी वादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है ।

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 आपस में बहिने हैं जिनकी नियत में बदयांती आ जाने के कारण जबरन ताकत के बल पर आराजी पर आधिपत्य करने पर आमादा है । अतः प्रतिवादीगण को स्थायी

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पक्षकारान ने पूर्व में ही उक्त प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निर्णय करने से मना कर दिया था तथा इस वाद में प्रकरण के अंतिम बहस हेतु तारीख पेशी भी नियत नहीं थी । उक्त तारीख पेशी 23.05.2017 को सिर्फ प्रार्थना पत्र पर बहस होनी थी । प्रतिवादीगण अपीलांट के अभिभाषक भी लोक अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे । अधीनस्थ न्यायालय ने दबाव डालकर अपीलांट के खाली आर्डरशीट पर निशानी अंगूठा करवा कर प्रकरण का निर्णय कर दिया । ग्राम मूण्डकिया, कून्डी एवं बोरखेड़ा की कुल 71 बीघा 15 बिस्वा आराजी में प्रतिवादी अपीलांट के पिता माधोलाल का 1/2 हिस्सा था तथा माधोलाल की उत्तराधिकारी उनकी दोनों पुत्रियां प्रतिवादी अपीलांट ही है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने माधोलाल के हिस्से की भूमि का मालिक वादिनी ग्यारसीबाई को मानकर त्रुटि की है । माधोलाल जी ने वादग्रस्त आराजी की वसीयत ग्यारसी बाई के पक्ष में तहरीर नहीं की थी । ग्यारसी बाई ने वसीयत को साबित नहीं करवाया है । वादीगण रेस्पोडेंट अपने वाद को साबित करने में पूर्णतया कासिर रहे हैं जबकि प्रतिवादीगण अपीलांट ने अपने काउंटर क्लेम को पूर्णतया साबित कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य को सही तौर पर एप्रिशियेट किये बिना ही एवं बहस पर गौर किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि स्वर्गीय लाल जी के माधोलाल व धूली लाल दो पुत्र थे । माधोलाल के चन्द्रकला और पंसूरी बाई दो पुत्रियां व पुत्र जमना लाल पुत्र हुए । धूली लाल के 6 वारिसान क्रमशः धूली बाई, दांखा बाई, चूंपा बाई, द्रोपती, रामकेश बाई, पुत्रियां एवं गुलाब बाई बेवा हुए । स्वर्गीय लाल की मृत्यु के पश्चात उनकी जमीन माधोलाल व धूली लाल की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई तथा दिनांक 06.03.68 को धूलीलाल ने जमीन जमना लाल को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दान कर दी । जबकि धूली लाल की मृत्यु 1966 में हो गयी थी । अतः दिनांक 06.03.68 को धूली लाल द्वारा जमना लाल को किया गया

दान पत्र संदेहास्पद है । दान पत्र को प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के दावे में एक्जीविट भी नहीं करवाया गया है । अतः उसे साक्ष्य में पढ़ा नहीं जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 को पत्रावली प्रार्थना पत्र की बहस में थी जिसे स्वीकार करते हुए पंसूरी बाई इत्यादि, अन्य में साक्ष्य हुई थी उसी के आधार पर द्रोपदी बाई, ग्यारसी बाई प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार नहीं है । वादग्रस्त आराजी दान पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट के नाम दर्ज हुई है । अतः न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद खारिज फरमाया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया एवं दस्तावेजात का गहन अध्ययन किया । उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू यह है कि क्या धूलीलाल को वादग्रस्त आराजी का जरिये दान पत्र जमना लाल को दान करने का अधिकार था एवं क्या यह आपीलांटगण के हितों के विरूद्ध था ? क्या दान पत्र फर्जी एवं कूटरचित है ? क्या जमना लाल धूली लाल का दत्तक पुत्र था ? क्या अपीलांट धूली लाल का प्राकृतिक उत्तराधिकारी था ? उपरोक्त समस्त प्रश्नों का उत्तर विस्तृत तनकीयात एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद ही परीक्षण किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं, को इसी प्रकरण में मानते हुए, जो फैसला किया है वह भी उचित नहीं है । क्योंकि दोनों में आराजी एवं पक्षकार पृथक पृथक हैं । अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रार्थना पत्र की सुनवायी में लम्बित थी परन्तु बिना समस्त पक्षकारान की उपस्थिति एवं बयान रेकार्ड पर लिये बिना ही लोक अदालत में दावा डिक्री किया है, जो त्रुटिपूर्ण है ।

लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । हम इस प्रकरण में अपीलांट अप्रार्थीगण को न्यायहित में जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

उपरोक्त सन्दर्भ में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विवेचन करते हुए । उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा